अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
27.6.19	पत्रावली पेश। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। दिनांक 11.06.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अन्तरिम आदेश की 30 दिवस में सुनवाई करना आवश्यक है फिर भी तहत् न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिसके लिए न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई है जिसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है परन्तु विधि के तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं जानकारी से प्रार्थी/अपीलांट की अपील अन्दर मियाद है फिर भी आक्षेपों से बचने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है एवं प्रार्थी/अपीलांट का समुचित एवं ठोस कारण है। इसलिए अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जावे। अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट 01 ने जवाब बहस प्रार्थना पत्र में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अन्य अप्रार्थीगण/प्रतिवादी की तलबी एवं जवाब हेतु प्रकरण विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित रखने हेतु अंतरिम स्थगन जारी किया गया है जो न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। अंतरिम स्थगन आदेश की सुनवाई 30 दिवस में किए जाने का प्रावधान आदेशात्मक प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगातार कार्यवाही विचाराधीन है जो पूर्ण हो जाने पर ही प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो पायेगा। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा दिनांक 03.10.2016 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था अर्थात उसी दिन आक्षेपित आदेश की जानकारी प्रार्थी को गयी थी फिर भी अपील लगभग ढ़ाई वर्ष मियाद बाहर प्रस्तुत की है एवं प्रार्थना पत्र में संतोषजनक कारण अंकित नहीं किए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया जाना या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रार्थी को नहीं मिलना मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने अथवा अपील को अन्दर मियाद शुमार किए जाने हेतु संतोष जनक एवं युक्तियुक्त आधार नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नही है, खारिज किया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने पक्ष में आर.आर.टी. 2015(1) पेज 232, 2016 डी.एन.जे.(राज.) पेज 201 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। अभिभाषक उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया एवं अपील व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये से एवं प्रार्थी/अपीलांट को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रार्थी को नहीं मिलना का कारण अंकित है। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा आर.आर.टी.2015(1) पेज 232 में यह प्रतिपादित है कि "Law of limitation is not a formality. Deley cannot be condoned when the party himself was not vigilant."। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संतोष जनक एवं युक्तियुक्त आधार नहीं बताया है इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम को खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम खारिज होने से अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	